

20/04/23

पत्रावली पेशा हुई। वकील
पक्षकारान अनुपस्थित। वादी
वकील को बार-बार आवाजें
लगावाई गई। वकील वादी एवं
उनका कोई प्रतिनिधी उपस्थित
नहीं हुआ। अतः वादी का
वाद CPC के 09 R 3 जा.सी.
में खारिज किया जाता है।
पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर
दर्ज नंबर से कम ही।
निर्णय शुद्ध न्यायालय में
सुनाया गया।

काग